



PBR | अपील | उज्जैन | भ्रूरा | 2018 | 0068

न्यायालय माननीय पोठासोन अधिकारी महोदय, ग्वालियर, कैंप, उज्जैन म० प्र०
प्रकरण क्र० / 2017-2018 / अपील

83

उपेक्षक कानूनजी एस.
खाटा-पेठपुरा
मोबा नो
75810-84348

युज्ज 33300
पुत्रा
22/12/17

1- गोर्वधन 2- हिन्दू 3- मोहन, पुत्र गण देवाजी
निवासी गण ग्राम नावटिया तहसील खाचरोद -
जिला उज्जैन म० प्र०

----- अपीलांत

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन वदारा अनुविभागीय अधिकारीके,
महोदय, खाचरोद जिला उज्जैन म० प्र०

----- रेषाडेट

अपील अन्तर्गत धारा 35 § 4 § म० प्र० भू० रटो सं० 1959


अधिकाथ न्यायालय माननीय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
प्रकरण क्र० 03 / / वि विध / 2017-2018 दिनांक 05-12-2017
से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांतस वदारा
अपील प्रस्तुत ।

216

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/उज्जैन/भूरा/18/0068

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
13-3-18	<p>अपीलार्थी अधिवक्ता श्री उपेन्द्र कानूनगो द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-12-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो जाने के बाद पुनः नम्बर पर लिये जाने का आवेदन 6 माह बाद प्रस्तुत किया गया, जो स्पष्टतः अवधि बाधित था तथा आवेदक की प्रकरण के प्रति उदासीनता को दृष्टिगत रखते हुये सही निरस्त किया गया है। जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह अपील आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>